कार्यालय जिला पंचायत, कोण्डागांव (छ0ग0)

(Phone - 07786 –243175, fax- 243175 , e-mail zp-kondagaon.cg@gov.in)

–:निविदा सूचनाः–

क./7085/जि.पं./निर्माण/ह0छ0यो0/ 2017 कोण्डागांव,दिनांक 14/7/2017

हमर छत्तीसगढ़ योजना के तहत कोण्डागांव जिले के समस्त पंचायतों एवं नगर पंचायतो के निर्वाचित वर्तमान/पूर्व जनप्रतिनिधियों को 02 दिवसीय रायपुर अध्ययन भ्रमण बस के माध्यम से करवाए जाने हेतु इच्छुक फर्म / एजेन्सी से 40 – 50 सीटर बस (प्रत्येक चरण में 3 से 4 बस) किराये पर उपलब्ध कराने हेतु मोहर बंन्द निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा की शर्ते ,निविदा प्रपत्र एवं अन्य दस्तावेजो के संबध में विस्तृत विवरण कार्यालय जिला पंचायत कोण्डागांव की वेबसाईट www.kondagaon.gov.in में अवलोकन एवं डाउनलोड किया जा सकता है।

निविदा जमा करने की अन्तिम तिथिः– 04/08/2017.(दोपहर 3:00 बजे तक)

निविदा खोलने की तिथिः– 04/08/2017 (दोपहर 4:00 बजे से)

निविदा खोलने का स्थान :– जिला पंचायत कार्यालय जिला – कोण्डागांव का सभाकक्ष में।

14/07/2017

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत कोण्डागांव

कार्यालय जिला पंचायत, कोण्डागांव (छ0ग0)

(Phone - 07786 –243175, fax- 243175 , e-mail zp-kondagaon.cg@gov.in)

क./7084 /जि.पं./निर्माण/ह0छ0यो0/ 2017 कोण्डागांव,दिनांक 14 / 7 /2017

–:निविदा आमंत्रण सूचना:–

हमर छत्तीसगढ़ योजना के तहत कोण्डागांव जिले के समस्त पंचायतों एवं नगर पंचायतो के निर्वाचित वर्तमान/पूर्व जनप्रतिनिधियों को 02 दिवसीय रायपुर अध्ययन भ्रमण बस के माध्यम से करवाया जाना है इस हेतु इच्छुक फार्म/एजेंसी से सील बंद लिफाफे में 02 दिवसीय भ्रमण हेतु '40–50 सीटर बस की दर सूची निम्नांकित शर्तो के अधीन दिनांक04/08/2017 अपरान्ह 3.00 बजे तक आमंत्रित की जाती है । उक्त तिथि व समय के पश्चात प्राप्त निविदा पर विचार नही किया जाएगा । निविदा उसी तिथि (04/08/2017) को मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत कोण्डागांव के सभा कक्ष में अपरान्ह 4.00 बजे निविदाताओं /उनके प्रतिनिधि के समक्ष खोला जाएगा। निविदा की शर्ते निम्नांकित है:–

1. निविदा प्रपत्र का मूल्य 500/–(पांच सौ रू.मात्र) निर्धारित किया गया है जिसे मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत कोण्डागांव के निर्माण शाखा में नगद जमा कर कार्यालयीन अवधि में प्राप्त किया जा सकता है।
2. निविदा दर के साथ रू.30000.00 (तीस हजार रूपए) का बैंक ड्राफ्ट कलेक्टर जिला कोण्डागांव के नाम सुरक्षा निधि जमा कराना आवश्यक है।
3. निविदा दाता को निविदा दर हेतु जारी किए गए प्रारूप के प्रत्येक कॉलम की जानकारी स्पष्ट लिखावट में भरना अनिवार्य होगा। अधुरे अथवा अस्पष्ट भरें गए प्रारूप को मान्य नही किया जाएगा।
4. निविदा की दरें एक वर्ष के लिए स्वीकृत की जाएगी तथा अनुबंध की अवधि में बढ़ाई नही जा सकेंगी। निविदित दर में सभी देय टैक्स/वैट व अन्य अधिभार शामिल कर प्रस्तुत करना होगा चलित प्रति कि0मी0 दर (डीजल सहित) एवं हाल्टींग चार्ज के अलावा कोई भी अतिरिक्त देयक मान्य नही होगा। स्वीकृत निविदा दाता की दरें उनकी सेवा संतोषजनक होने की दशा में सहमति के आधार पर एक वर्ष के लिए पुनः बढ़ाई जा सकेगी।
5. निविदा दाताओं के स्वयं के बैंक खाते की कॉपी TIN NO , PAN CARD NO एवं पंजीयन प्रमाण पत्र का उल्लेख होना चाहिए।

निविदा दाताओं द्वारा "**टेक्नीकल बीड**,, एवं फाइनेंसियल बीड पृथक–पृथक सीलबंद लिफाफे में प्रस्तुत करना होगा। प्रत्येक लिफाफे पर "**टेक्नीकल बीड**,, अथवा **फाइनेंसियल बीड** उल्लेख करना होगा। दोनो लिफाफे (टेकनिकल एवं फाइनेंसियल बीड) तथा प्रपत्र अ एवं घोषणा पत्र एक तीसरे बड़े लिफाफे के अंदर सील कर जमा किए जांएगे जिस पर **हमर छत्तीसगढ़ योजना जिला कोण्डागांव हेतु निविदा आवेदन** स्पष्ट अक्षरों में उल्लेख करना होगा।

7. निविदा खोलने पर सर्वप्रथम टेक्नीकल बीड लिफाफा खोला जायेगा तत्पश्चात् संतुष्टी की दशा में फाइनेशियल बीड लिफाफा खोला जायेगा।

8. निविदा दाता एजेंसी को अपनी बसों का उल्लेख (वाहन क्रमाक सीट संख्या आदि) टेक्नीकल बीड प्रपत्र में करना होगा । किसी अन्य एजेंसी से किराये पर लेकर या अन्य किसी शर्त के पूरा न होने की स्थिति में टेक्नीकल बीड को निरस्त कर दिया जाएगा एवं फाइनेंसियल बीड नही खोला जाएगा।

9. निविदा दाताओं द्वारा प्रस्तुत दरो की तुलना हेतु कोण्डागांव जिले के अंतर्गत विभिन्न स्थानों से औसत दूरी रायपुर तक की 250 कि0मी0 एवं रायपुर/भिलाई/दुर्ग आदि में भ्रमण हेतु अनुमानित दूरी 200 कि0मी0 इस प्रकार 250×2+200 = 700 कि0मी0 दर के अनुसार तथा प्रति दिन हॉल्टींग दर 3 का कुल योग की गणना की जाएगी इस प्रकार प्रत्येक चक्र बस हेतु अनुमानित व्यय E =700× प्रति कि0मी0 दर + प्रति दिन हॉल्टींग दर × 3 के आधार पर ऑकलन किया जाएगा।

10. चयनित (सफल) निविदा दाता द्वारा भ्रमण हेतु उपलब्ध कराए जाने वाली बस की परिवहन विभाग द्वारा जारी किया गया फिटनेस सर्टिफिकेट तथा वाहन बीमा की कॉपी 3 दिवस के अंदर जमा करनी होगी उसके उपरांत ही अनुबंध निष्पादित किया जाएगा। साथ ही यात्रा हेतु उपलब्ध कराये गये वाहन चालक के पास स्वयं का ड्राइविंग लाइसेंस होना आवश्यक होगा। उक्त जानकारी कार्यालय को उपलब्ध नही कराने की स्थिति में दूसरे फर्म/एजेंसी (निविदा दाता) का चयन करने का अधिकार अधोहस्ताक्षर कर्ता के पास सुरक्षित होगा।

11. जिस निविदा दाता की दर को न्युनतम पाया जाकर चयन किया जाएगा उसकी अनुबंध की अवधि के समापन के पश्चात अमानत राशि वापस की जावेगी। जिस पर कोई ब्याज देय नही होगा। तथा अनुबंध निष्पादित होने के 20 दिवस के पश्चात शेष निविदाताओं की अमानत राशि 30000.00(तीस हजार रूपये) वापस कर दी जायेगी। जिस पर कोई ब्याज देय नही होगा।

निविदा कर्ता को कार्यक्रम अंतर्गत भाग लेने वाले प्रतिभागियों को जिले के विकासखंडो नगर पंचायतों के निर्धारित एक या अधिक स्थलों से परिवहन करना होगा जिसकी पूर्व सूचना दी जाएगी। प्रतिभागियों को कार्यक्रम अनुसार दो दिवस रायपुर और उसके आसपास के क्षेत्रों का भ्रमण कराना होगा। प्रत्येक चक्र दो दिवस का होगा, जिनमें दो रात्रि विश्राम रायपुर में करना होगा, तथा तीसरे दिवस रायपुर से प्रतिभागियों की वापसी होगी। अतः परिवहन कर्ता को निर्धारित स्थल से प्रारंभ कर यात्रा समाप्ति तक वास्तविक चलित कि0मी0 के आधार पर किराया एवं हॉल्टींग चार्ज देय होगा।

13. भ्रमण के सत्यापन पश्चात वास्तविक चलित कि0मी0 के आधार पर ही देयक का भुगतान किया जाएगा।

14. भ्रमण के दौरान प्रतिभागियों को सकुशल गंतव्य तक ले जाने तथा वापस सकुशल लाने की जवाबदारी संबंधित फर्म/एजेंसी की होगी।

15. भ्रमण दौरान विषम परिस्थितियों में बस में किसी भी प्रकार की तकनिकी समस्या होने की स्थिति में 1 घंटे के भीतर अन्य वाहन उपलब्ध करवाना होगा । साथ ही प्रतिभागियों को ले जाते समय एवं वापस लाते समय किसी अन्य यात्री को बैठाया नही जावेगा। यदि आपात परिस्थितियों में जिस भी वाहन की व्यवस्था की जाती है उस पर होने वाले वास्तविक व्यय एवं उतनी ही सीटर क्षमता का वाहन यदि संबंधित फर्म द्वारा फाइनेंसियल बीड में उल्लेख की गई दर पर उपलब्ध करवाया जाता तो जो व्यय होता उन दोनो के अंतर की राशि भी संबंधित फर्म/एजेंसी से वसुल की जाएगी जिसके संबंध में गणना पत्रक सहित नोटिस संबंधित फर्म को दिया जाएगा जिसकी प्राप्ति से अधिकतम एक सप्ताह के अंदर 10000.00(.दस हजार रूपए मात्र) के दण्ड की राशि एवं अंतर की राशि शासन के पक्ष में जमा करनी होगी अन्यथा प्रतिदिन विलम्ब के लिए 1000 (रू.एक हजार मात्र) का अतिरिक्त दण्ड लगाया जा सकेगा एवं अनुबंध निरस्त करने की कार्यवाही की जा सकेगी।

16. विभागीय अधिकृत कार्यक्रम अधिकारियो द्वारा समय –समय पर मौखिक/लिखित रूप में वाहन परिस्थिति अनुसार मगाये जाने पर (जो कि दो घण्टे पूर्व लिखित या मौखिक सूचना पर) उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य होगा।

17. वाहन के समस्त कागजात परिवहन विभाग के नियमानुसार होना अनिवार्य होगा वाहन का रोड टेक्स/बीमा/सेवा एवं अन्य सभी प्रकार के शुल्क आदि का भुगतान वाहन मालिक के द्वारा किया जावेगा वाहन का रोड टेक्स व बीमा अधतन होना चाहिए जिसकी सत्यापित छायाप्रति कार्यालय में जमा किया जाना आवश्यक होगा।

वाहन चालक द्वारा तम्बाकू शराब ,सीगरेट इत्यादि के सेवन एवं अभद्र व्यवहार की दशा में बिना सूचना के अनुबंध समाप्त किया जावेगा।

19. शर्ते पूरा न करने पर अथवा दण्डात्मक कार्यवाही के रूप में अनुबंध निरस्त की जाने की स्थिति में संपूर्ण अमानत राशि ब्याज सहित शासन के पक्ष में जब्त कर ली जाएगी।

20. भ्रमण दिनांक को प्रतिभागियों को राज्य होटल प्रबंधन संस्थान उपरवारा,नया रायपुर में एक दिवस पूर्व रात्रि 10.00 बजे तक पहुंचना अनिवार्य है, इसलिए बस को यथा उचित समय एक दिवस पूर्व अपरान्ह में 3.00 बजे तक निर्धारिंत स्थल में उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। बस को आवश्यकता अनुसार रवाना किया जाएगा ताकि रायपुर में विलंब से पहुंचने की स्थिति न बने।

21. रायपुर पहुंचाने पश्चात जनप्रतिनिधियों के समूह को उक्त बस से नया रायपुर के साथ, बॉटनीकल गार्डन,साइंस सेंटर सिटी सेंटर मॉल विधानसभा, पुरखौती मुक्तांगन,भिलाई स्टील प्लांट,इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, उर्जा पार्क, मंत्रालय,स्वामी विवेकानंद एयर पोर्ट आदि का भ्रमण करवाया जाएगा।

22. निविदा दाता को निविदा प्रस्तुत करने के साथ संलग्न घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

23. प्राप्त निविदा दर को स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार अधोहस्ताक्षर कर्ता के पास सुरक्षित रहेगा।

24. निविदा प्रक्रिया की समय सीमा निम्नानुसार होगी :–

निविदा जमा करने की अन्तिम तिथि – 04/08/2017.(दोपहर 3:00 बजे तक)

निविदा खोलने की तिथिः– 04/08/2017 (दोपहर 4:00 बजे से)

निविदा खोलने का स्थान :– जिला पंचायत कार्यालय कोण्डागांव का सभाकक्ष में।

14/07/2017

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत कोण्डागांव

// निविदा प्रपत्र //

निविदा दर भेजने हेतु प्रपत्र (अ)

1. निविदा प्रपत्र का विभागीय क्रमाक :– .....

2. निविदा दाता/एजेंसी का नाम :–.....

.....

3. पत्र व्यवहार का पूर्ण पता :–.....

.....

.....

(पते के सत्यापन के संबंध में दस्तावेज अभिप्रमाणित संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा।)

4. कार्यालय का पूर्ण पता :–.....

.....

.....

5. दूरभाष नम्बरः–.....मोबाईल नम्बर.....

6. निविदा दाता /एजेंसी का पंजीयन कं0:–.....

7. निविदा दाता/एजेंसी का पेन नम्बर :–.....(अभिप्रमाणित संलग्न करें)

8. टीन नं0 :–..... (अभिप्रमाणित संलग्न करें)

9. अमानत राशि का विवरणः–

   1. बैंक ड्राफ्ट की राशि :–.....डी0डी0नंबर.....
   2. बैंक का नाम :–.....
   3. दिनांक :–.....

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर

टीपः– यह प्रपत्र मूलतः हस्तलिखित भर कर निविदा में संलग्न करना अनिवार्य है।

//घोषणा पत्र//

1. यह की हमारे संस्थान को इस निविदा के तहत प्रदाय की जाने वाली समस्त सेवाओं के लिए किसी भी संस्थान /व्यक्तिगत विशेष के द्वारा मुकदमेंबाजी एवं आरोप नही लगाया गया है।
2. यह कि हमारी संस्थान किसी भी राज्य सरकार /केन्द्र सरकार/भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम द्वारा अपात्र (black listed) सूची में नही है।
3. निविदा में दर्शित समस्त नियम एवं शर्तो को हमारे संस्थान द्वारा पालन किया जावेगा।

अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर

हस्ताक्षर :–.....

नाम :–.....

पता :–.....

मो0नं0:–.....

नोटः– उपरोक्त घोषणा पत्र में दर्शित नियम एवं शर्तो को निविदा कर्ता द्वारा राशि 50/–(पचास रू.) के स्टाम्प पेपर पर सहमती देना अनिवार्य है।

सहमति–पत्र

मैं ..... प्रो./संचालक फर्म का नाम ..... पता .... दिनांक ..... को कार्यालय जिला पंचायत कोण्डागांव में भाव पत्र प्रस्तुत किया हूँ । सहमति प्रदान करता हूँ कि आवश्यकता के आधार पर मैं अपनी फर्म का वाहन तत्काल कार्यालय में उपलब्ध करने हेतु बाध्य रहूंगा, यदि किसी कारणवश उपलब्ध नहीं करा पाता हूँ तो L1 के आधार पर अन्य फर्म/संस्था से वाहन लिये जाने में मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी एवं किसी भी परिस्थिति में कार्यालय जिला पंचायत बस्तर द्वारा गठित क्रय समिति का निर्णय मान्य किये जाने हेतु बाध्य रहूंगा ।

हस्ताक्षर .....

स्थान .....

1. गवाह .....

2. गवाह .....

दिनांक .....

प्रपत्र (ब)

टेक्नीकल बीड

1. बस क्रमांक :– (एक चक्र में अनुमानित 3–4 बस की आवश्यकता होगी परन्तु , निविदा कर्ता चाहे तो सुविधा के तौर पर 10 बस का क्रमाक लिख सकता है। 40–50 सीटर बस में यदि किसी एक प्रकार की ही बस उपलब्ध है तो मात्र उसी का विवरण दे ,श्रेणी के लिए फाइनेंसिलयल बीड पर विचार किया जाएगा।

1. ए0 सी0 बस						
क्रं0	बस क्रं0	सीट संख्या		क्रं0	बस क्रं0	सीट संख्या
1				4		
2				5		
3				6		

2. नॉन ए0 सी0 बस						
क्रं0	बस क्रं0	सीट संख्या		क्रं0	बस क्रं0	सीट संख्या
1				4		
2				5		
3				6		

3. बस का पंजीयन क्रं0 एवं दिनांकः–(प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित प्रति संलग्न करें)

.....

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर

फर्म/एजेंसी का नाम :–.....

मोबाईल नम्बर :–.....

प्रपत्र (स)

फाइनेंसियल बीड

1. निविदा दर स्पष्ट अक्षरो में लिखा जाना चाहिए।
2. निविदा प्रपत्र के विभागीय उल्लेख किया जाना अनिवार्य होगा जो जिला पंचायत कोण्डागांव द्वारा आवेदन विक्रय के दौरान आवेदन पर उल्लेखित किया गया है।

उपरोक्तानुसार दर प्रति किलोमीटर पर आंमत्रित है।

निविदा प्रपत्र का विभागीय क्रमाक.....

ए0 सी0 बस

कं0	वाहन का विवरण (शीट संख्या)	दर प्रति कि0मी0(रू.)		हाल्टींग चार्ज प्रतिदिन दर	
		अंको में	शब्दों में	अंको में	शब्दों में
1					
2					
3					
4					

नॉन ए0 सी0 बस

कं0	वाहन का विवरण	दर प्रति कि0मी0(रू.)		हाल्टींग चार्ज प्रतिदिन दर	
		अंको में	शब्दों में	अंको में	शब्दों में
1					
2					
3					
4					

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर

दिनांक .....

फर्म /एजेन्सी का नाम.....

स्थान .....

मोबाईल नम्बर :–.....